

FORM NO III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

ग्राम पंचायत सेदरिया

छोटी वगैरह..... बनाम जीवणी वगैरह.....

किस्म मुकदमा 212 रा0का. सपठित आदेश 40 नियम 1..... नम्बर 47/2001..... सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.05.2018	<p>श्री</p> <p>पत्रावली अज राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में ग्राम सेदरिया में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 40 नियम 1 जा0दी0 पर उभय पक्षकारान को सुना गया। मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 प्रस्तुत किया है जिसमें बटवारा का अनुतोष चाहा गया है जो विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बटवारे के वाद में जब तक कृषि भूमि का अन्यथा उपयोग न हो तब तक रिसीवर जेसी कठोर उपाय का उपयोग न्यायालय द्वारा नहीं किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में साक्ष्य में नहीं बताया है कि भूमि को कोई स्थाई नुकसान पहुँच रहा हो अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 40 नियम 1 जा0दी0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय मजमें आम सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>अध्यक्ष लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	